

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-01/विविध-06-01/2014...../

प्रेषक,

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- विभाग से संबंधित वादों में तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ता की सेवा लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत लंबित मुकदमों की संख्या कम से कम किये जाने पर बल दिया गया है। आये दिन माननीय न्यायालयों में विभाग से संबंधित अनेकों वाद दाखिल किये जाते हैं। इन वादों में सरकार/विभाग का पक्ष मजबूती से रखे जाने की आवश्यकता होती है। इस हेतु कतिपय विशिष्ट मामलों में तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विशेषज्ञ की सेवा लिये जाने की अपेक्षा हो सकती है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या-487 दिनांक 15.01.2014 द्वारा (छाया प्रति संलग्न) बाह्य अधिवक्ता/सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारी की सेवा लेने पर प्रतिशपथ तैयार करने हेतु राशि का निर्धारण किया गया है। विभागीय स्तर पर पर न्यायिक मामलों में तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु एक अधिवक्ता की सेवा लिये जाने पर कार्रवाई की जा रही है। किन्तु इस कार्य में थोड़ा विलम्ब संभावित है। इस बीच न्यायालय मामलों में ससमय प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में विशेषज्ञ की आवश्यकता हो उन न्यायिक मामलों में संबंधित पदाधिकारी सुयोग्य अधिवक्ता/सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारी की सेवा ले सकेंगे एवं वित्त विभाग द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप अभिश्रव समर्पित करेंगे, जिसका भुगतान कार्यालय मद की राशि से किया जाएगा।

अनुरोध है कि एतदर्थ अपने अधीनस्थ प्रशाखा से संबंधित न्यायिक मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- 530

दिनांक- 27/01/2014

प्रतिलिपि- सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूदनार्थ प्रेषित।


27/01/14

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प



विषय:-

विभिन्न न्यायिक वादों में सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु, अधिकारियों/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के पुनरीक्षण के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञांक 7248 दिनांक 04.08.2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सुयोग्य अधिकारियों अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त अग्रणी-जानने वाले सुयोग्य पदाधिकारियों/कर्मचारियों की एक सूची अपने स्तर पर तैयार कर सकेंगे एवं तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे एवं प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारिता/सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को अधिकतम छः सौ रूपया तक भुगतान किया जा सकेगा तथा प्रारूप की अग्रणी प्रति टंकित कराने हेतु (आशु लेखन सहित) अधिकतम एक सौ पचास रूपये का भुगतान किया जा सकेगा जिसकी स्वीकृति देने हेतु सरकार के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी सक्षम होंगे। यह भुगतान "13 05-विधि प्रमार" मद से किया जायेगा। व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रहेगा।

2. उक्त संकल्प में निहित निर्देशों के कार्यान्वयन के क्रम में यह महसूस किया गया है कि ऊर् अंकित निर्धारित दर पर सुयोग्य अधिकारिता/सेवानिवृत्त सरकारी सेवक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा संपूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु वाह्य अधिकारिता/सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी की सेवा लेने पर प्रति तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिकतम बारह सौ रूपया का भुगतान किया जा सकेगा। इसके अलावे प्रारूप की अग्रणी प्रति टंकित करने हेतु अधिकतम तीन सौ रूपये देय होंगे।

3-2-17-1
476 51
9/11/14
3/11/14
17-1-14
AS
17/11/14

प्रशासी विभाग ऐसी सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय तभी ले जब विभाग में पदाधिकारियों की कमी हो या/ और संख्या अधिक हो।

4. इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय। यह निर्णय निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह/:-

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव।

342/5
17/11/14

ज्ञांक- वि090-12-56/2010 दिनांक.....
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/:-

(प्रभात शंकर)
अपर सचिव।

5.0-I
17/11/14

ज्ञांक- वि090-12-56/2010 दिनांक 15.11.14
प्रतिलिपि:- सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/11/14

(प्रभात शंकर)

AS
17/11/14